Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding increase in permit fees of commercial taxi vehcle

*m01

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): माननीय सभापति जी, मैं सरकार का ध्यान मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज़ द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन की ओर दिलाना चाहता हूँ । उस नोटिफिकेशन में एक नहीं दो अन्याय हुए हैं ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस अन्याय को न्याय में बदला जाए । सर, उस नोटिफिकेशन के अनुसार जितनी टैक्सियाँ रजिस्टर्ड हैं, जो नौ या नौ से कम सीटों वाली टैक्सियाँ हैं, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है । उनकी परमिट फीस कई गुना बढ़ा दी गयी है । एसी गाड़ियों की परमिट को 25 हजार रुपए कर दिया गया है और नॉन-एसी गाड़ियों की परमिट फीस 15 हजार रुपए कर दी गई है । इसके अलावा, ऑथोराइजेशन फीस एक सीट वाली गाड़ी के लिए एक हजार रुपए कर दी गई है ।

हमारे देश में ज्यादातर चार या पाँच सीटों वाली गाड़ियाँ चलती हैं । आप इसकी एक कैटेगरी बनाइए और जो ऑथोराइजेशन फीस है, उसको 400 रुपए प्रति सीट कीजिए और एसी गाड़ियों की परमिट फीस को 10 हजार रुपए तथा नॉन-एसी गाड़ियों की परमिट फीस को छः हजार रुपए किया जाए ।